	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 20, गुरूवार, *शाके* 1943–जून 10, 2021 *Jyaistha 20, Thursday, Saka 1943- June 10, 2021*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

आदेश

जयपुर, जून 06, 2021

संख्या प.2(च)( )जॉच/डीएलबी/2021/1413 :-श्रीमति डॉ. सौम्या गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर-ग्रेटर एवं सदस्य वार्ड संख्या 87 के विरूद्व, उनके द्वारा आयुक्त नगर निगम जयपुर-ग्रेटर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल तथा राजकीय कार्य में बाधा कारित करने एवं उनकी उपस्थिति में व उनकी सहमति से आयुक्त नगर निगम जयपुर-ग्रेटर के साथ पार्षदों द्वारा मारपीट, धक्का मुक्की करने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए राजकीय कार्य में बाधा डालने से संबंधित प्रकरण विभाग को प्राप्त होने पर प्रकरण की जांच उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा श्रीमति डॉ. सौम्या गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर-ग्रेटर एवं सदस्य वार्ड संख्या 87 का उक्त कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1)(घ)(ii)(iii)(vi) में वर्णित कृत्यों हेतु श्रीमती डॉ. सौम्या गुर्जर को पूर्णतया दोषी व उत्तरदायी माना है। राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूंकि श्रीमति डॉ. सौम्या गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर-ग्रेटर एवं सदस्य वार्ड संख्या 87 के विरूद्व आरोप गम्भीर प्रकृति के है। एवं उनके महापौर पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना है। अत: राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्रीमती डॉ. सौम्या गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर-ग्रेटर एवं सदस्य वार्ड संख्या 87 को महापौर एवं सदस्य वार्ड संख्या 87 नगर निगम जयपुर-ग्रेटर के पद से तुरन्त प्रभाव से निलंबित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नंदी,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

3474

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।